

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 455 / 2017)
 (संस्थित दिनांक :- 09 / 09 / 2017)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. जय कुमार उर्फ जैकी पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 28 वर्ष।
 निवासी :- वार्ड क्रमांक 03 लुहारपुरा मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
 अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक : 05 / 12 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैकी पर भा.द.सं. की धारा 403 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 05 / 07 / 2017 की शाम लगभग 04:40 बजे स्वयं के मकान में स्थित लुहारपुरा वार्ड क्रमांक 13 मौ में, मोटर साईकिल पल्सर इंजन क्रमांक डी.एच.जी.बी.टी.एच.78575 एवं चैसिस क्रमांक एम.डी.ओ.डी.एच.डी.एच.जेड.जेड.टी.सी.एन. 91255 यह जानते हुए कि वह उसके आधिपत्य की नहीं है, को उसके आधिपत्य में रखकर स्वयं के उपयोग में सम्परिवर्तित कर बेईमानी से दुर्विनियोग किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05 / 07 / 2017 को थाना मौ के अपराध क्रमांक 166 / 2017 की विवेचना के दौरान थाना प्रभारी मौ शैलेन्द्र भार्गव द्वारा आरोपी जयकुमार से पूछताछ करने पर उसने उसके घर में चोरी की दो मोटर साईकिल एवं बजाज पल्सर एवं एक अपाचे मोटर साईकिल ग्वालियर से चोरी कर अपने घर पर रखे होना दर्शित किया, तब आरोपी के बताये अनुसार उसके घर स्थित वार्ड क्रमांक 13 लुहारपुरा से दो मोटर साईकिल पल्सर एवं अपाचे दिनांक : 05 / 07 / 2017 को शाम लगभग 04:40 बजे जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। तत्पश्चात् थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 36 पर प्रविष्टि की गई और आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02 / 17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. एवं 41 "01" "04" द.प्र.सं. पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् विवेचना के दौरान साक्षी पदम सिंह एवं अर्जुन सिंह के कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा वाहनों के वाहन स्वामियों का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त वाहनों के वाहन मालिकों का पता नहीं चला। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैकी के विरुद्ध धारा 403 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी ने दिनांक :- 05/07/2017 की शाम लगभग 04:40 बजे स्वयं के मकान में स्थित लुहारपुरा वार्ड क्रमांक 13 मौ में, मोटर साईकिल पल्सर इंजन क्रमांक डी.एच.जी.बी.टी.एच.78575 एवं चैसिस क्रमांक एम.डी.ओ.डी.एच.डी.एच.जेड.जेड.टी.सी.एन. 91255 यह जानते हुए कि वह उसके आधिपत्य की नहीं है, को उसके आधिपत्य में रखकर स्वयं के उपयोग में सम्परिवर्तित कर बेईमानी से दुर्विनियोग किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. अभियोजन साक्षी शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/07/2017 को थाना मौ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपराध क्रमांक 166/2017 की विवेचना के दौरान संदेही जयकुमार उर्फ जैकी पुत्र कमल सिंह यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी :- लौहारपुरा, से पूछताछ करने पर उसने अपने घर में दो चोरी की मोटर साईकिल एक मोटर साईकिल बजाज पल्सर एवं एक अपाचे मोटर साईकिल ग्वालियर से चोरी कर घर पर रखना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसके घर से दो मोटर साईकिल क्रमांक पल्सर एवं अपाचे क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./9809 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि थाने पर आकर इस्तगासा क्रमांक 02/17 अन्तर्गत धारा 41 "01" "04" द.प्र.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. रोजनामचा सान्हा 36 पर दर्ज किया गया था।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नगर निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी जैकी से उसके घर पर ही जाकर पूछताछ की थी और वह आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी का घर शाम 04:00 बजे पहुँच गया था। साक्षी शैलेन्द्र की ओर से इस्तगासा के साथ आरोपी जयकुमार से उसके द्वारा दिनांक

: 05/07/2017 को शाम 04:00 बजे उसके घर पर की गई, किसी अपराध के संबंध में पूछताछ का कोई पंचनामा या प्रपत्र संलग्न नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि साक्षी शैलेन्द्र अ.सा.03 ने शाम 04:00 बजे आरोपी जैकी के घर पर पहुँचकर उससे पूछताछ करना दर्शित किया है और गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी जयकुमार को दिनांक : 05/07/2017 को 16:00 बजे अर्थात् 04:00 बजे गिरफ्तार किया गया है, इस तथ्य के आलोक में यह संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर शाम 04:00 बजे पहुँचे, उसी समय उससे पूछताछ करें और ठीक 04:00 बजे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर लें। इस प्रकार इस वावत् शैलेन्द्र अ.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होती है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नगर निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी जयकुमार से पूछताछ, जब्ती एवं गिरफ्तारी के समय आरोपी के दो भाई एवं घर की कुछ महिलाएं मौजूद थीं। आरोपी जैकी को साथ लेकर पुलिस बल उसके घर के अन्दर गया था, जहाँ से मोटर साईकिल जब्त की थी, वह कमरा आरोपी के मकान के अन्दर का था, जिस कमरे में मोटर साईकिल रखी थी, वह कमरा खुला हुआ था, उस पर कोई ताला नहीं डला था। जबकि नगर निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 के आरोपित घटना के समय कथित हमराह साक्षी अर्जुन अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि जब हम लोग जैकी के मकान पर पहुँचे, तो जैकी के घर में ताला डला हुआ था और जैकी ने अपनी माँ को आवाज देकर चाबी मांगकर माँ से ताला खुलवाया था। इसी प्रकार जब्ती के कथित हमराह साक्षी आरक्षक पदम सिंह अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि आरोपी जैकी के घर के खुले बरामदे से उक्त मोटर साईकिल मिली थी। इस प्रकार जिस स्थान से कथित रूप से आरोपी जैकी के आधिपत्य से मोटर साईकिलें जब्त होना पुलिस द्वारा दर्शित किया गया है, वह कमरा ताला डालकर बंद था, अथवा खुला हुआ था, अथवा कमरा ना होकर खुला बरामदा था, इस वावत् शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03, पदम सिंह अ.सा.04 एवं अर्जुन सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है और यह विरोधाभास आरोपी जैकी के आधिपत्य से दो मोटर साईकिलें जब्त होने संबंधी अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है। वैसे भी शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 एवं पदम सिंह अ.सा.04 के अनुसार जहाँ से मोटर साईकिल जब्त होना दर्शित किया गया है, वह कमरा अथवा बरामदा खुला हुआ था, जिस पर कोई ताला नहीं लगा था। इसका अर्थ यह है कि उस कमरे अथवा खुले बरामदे में आरोपी जैकी के अलावा अन्य लोगों का भी आना-जाना था, वह कोई ऐसा स्थान नहीं था, जिस पर आरोपी जैकी की एकमेव पहुँच हो। इसलिए भी उक्त जब्तशुदा मोटर साईकिलें आरोपी जैकी के एकमेव आधिपत्य की होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नगर निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि जब्तशुदा अपाचे मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./9809 से संबंधित मूल प्रकरण थाना गोला का मंदिर ग्वालियर में पंजीबद्ध होने के कारण वर्तमान में उस प्रकरण की विवेचना थाना गोला का मंदिर द्वारा की जा रही है।

विवेचक पी.आर.एस.पाल अ.सा.01 भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उक्त मोटर साईकिल नाथूराम शर्मा निवासी :- न्यू बिहारी कॉलोनी गोले के मंदिर के नाम से पंजीबद्ध है और उक्त अपाचे मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./9809 की जब्ती की कार्यवाही थाना गोला का मंदिर द्वारा की जा चुकी है, इसलिए उक्त मोटर साईकिल के संबंध में अब कोई मूल अपराध थाना मौ में पंजीबद्ध नहीं है, ना ही उसके संबंध में कोई निराकरण शेष है। पी.आर.एस.पाल अ.सा.01 एवं शैलेन्द्र भार्गव अ.सा.03 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त अपाचे मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./9809 के संबंध में थाना मौ में कोई मूल अपराध पंजीबद्ध नहीं है। उक्त मोटर साईकिल के संबंध में मूल अपराध थाना गोला का मंदिर में पंजीबद्ध है।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी ने दिनांक :- 05/07/2017 की शाम लगभग 04:40 बजे स्वयं के मकान में स्थित लुहारपुरा वार्ड क्रमांक 13 मौ में, मोटर साईकिल पल्सर इंजन क्रमांक डी.एच.जी.बी.टी.एच.78575 एवं चैसिस क्रमांक एम.डी.ओ.डी.एच.डी.एच.जेड.जेड.टी.सी.एन. 91255 यह जानते हुए कि वह उसके आधिपत्य की नहीं है, को उसके आधिपत्य में रखकर स्वयं के उपयोग में सम्परिवर्तित कर बेईमानी से दुर्विनियोग किया।

अंतिम निष्कर्ष

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरुद्ध धारा 403 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को धारा 403 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. प्रकरण में जब्तशुदा मोटर साईकिल पल्सर इंजन क्रमांक डी.एच.जी.बी.टी.एच.78575 एवं चैसिस क्रमांक एम.डी.ओ.डी.एच.डी.एच.जेड.जेड.टी.सी.एन. 91255 को अपील न होने की दशा में अपील अवधि उपरांत राज्य के पक्ष में अधिहृत करके व्ययनित किया जावे। प्रकरण में जब्तशुदा अन्य मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./9809 के संबंध में थाना गोला का मंदिर ग्वालियर में मूल अपराध पंजीबद्ध होने के कारण उक्त मोटर साईकिल के संबंध में व्ययन संबंधी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के व्ययन संबंधी निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

